पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0--1607

दिनांक-04.09.2026

जोन – पूर्वी | थाना –विभूतिखण्ड

- **डिजिटल करेंसी (USDT/क्रिप्टोकरेंसी) के नाम पर फर्जी RBI/SEBI अथॉरिटी लेटर दिखाकर ₹93 लाख की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, एक महिला शामिल।**
- **लैपटॉप, मोबाइल फोन, कूटरचित RBI/SEBI अथॉरिटी लेटर, चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट एवं मोहर बरामद**

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना विभूतिखण्ड पर वादी मुकदमा **श्री अखिलेश त्रिपाठी** द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा डिजिटल करेंसी **USDT** उपलब्ध कराने के नाम पर झांसे में लेकर उनसे **₹43 लाख** की धनराशि हड़प ली गई तथा विश्वास में लेने के लिए फर्जी **RBI अथॉरिटी लेटर** दिया गया। इस संबंध में थाना विभूतिखण्ड पर **मु0अ0सं0-330/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

इसी प्रकार वादी मुकदमा **अंजनी कुमार** की तहरीर पर डिजिटल करेंसी USDT उपलब्ध कराने के नाम पर **₹50 लाख** की ठगी किए जाने के संबंध में **मु0अ0सं0-331/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ पंजीकृत किया गया। इस प्रकार दोनों अभियोगों में कुल **₹93 लाख** की धोखाधड़ी किए जाने की घटना प्रकाश में आई।

घटनाओं के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी, तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक **04.09.2026** को मुखबिर खास की सूचना पर वादीगण को साथ लेकर पुलिस टीम द्वारा **होटल दयाल गेटवे के कमरा नं0-509** से ठगी करने वाले गिरोह के 03 अभियुक्तों **फरीदा सिकन्दर सौदागर, पवन बिष्ट एवं अवधेश कुमार मिश्रा** को समय करीब **06:15 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा लोगों को डिजिटल करेंसी/USDT उपलब्ध कराने के नाम पर **02 से 03 प्रतिशत कमीशन** का प्रलोभन देकर तथा फर्जी **RBI एवं SEBI अथॉरिटी लेटर** दिखाकर विश्वास में लेने और धनराशि प्राप्त करने के बाद हड़प लेने की बात प्रकाश में आई।

अभियुक्तगण के कब्जे से घटना से संबंधित **लैपटॉप, मोबाइल फोन, कूटरचित RBI/SEBI अथॉरिटी लेटर, चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड एवं मोहर** बरामद की गई। बरामदगी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियोगों में **धारा 3(5) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई है।

02- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. फरीदा सिकन्दर सौदागर पत्नी स्व0 सिकन्दर सौदागर, निवासी डोली पैलेस-501, बिहाइंड फातिमा चर्च, थाना अम्बरनाथ वेस्ट, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र, उम्र करीब **51 वर्ष**।

2. पवन बिष्ट पुत्र मोहन सिंह बिष्ट, निवासी 21/75 टाइप-4, थाना लोधी कॉलोनी, जरेबाग, नई दिल्ली। मूल पता ग्राम सोनी, थाना रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा, उम्र करीब **54 वर्ष**।

3. अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री लल्लूराम मिश्रा, निवासी 7 आनंद धाम, अपोजिट पिकनिक स्पॉट गेट, फरीदीपुर, थाना इंदिरानगर, लखनऊ। मूल पता ग्राम बजरखा, थाना मितौली, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र करीब **68 वर्ष**।

03- अनावृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-330/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।

2. मु0अ0सं0-331/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।

04- बरामदगी का विवरण-

- **एप्पल कम्पनी का 01 लैपटॉप** (Mac ID: 0e:7f:77:c7:59:dd)।
- **03 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन** – वीवो, सैमसंग एवं ओप्पो।
- **12 वर्क कूटरचित अथॉरिटी लेटर** – 06 वर्क RBI एवं 06 वर्क SEBI द्वारा निर्गत दर्शाए गए फर्जी पत्र।
- **03 अदद चेकबुक** – केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं HDFC बैंक।
- **02 अदद पासबुक** – केनरा बैंक एवं HDFC बैंक।
- **02 अदद पासपोर्ट** – भारत गणराज्य।
- **01 अदद पैन कार्ड एवं 01 अदद आधार कार्ड।**
- **03 अदद एटीएम/डेबिट कार्ड** – HDFC, कोटक महिंद्रा एवं रुपे प्लैटिनम।
- **01 अदद मोहर** – “FOR MPS INFORMATICS PRIVATE LIMITED”।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **व0उ0नि0 सैय्यद अब्बास रजा**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
2. **उ0नि0 सफात उल्ला खां**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
3. **उ0नि0 राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
4. **हे0का0 विमलेश कुमार सिंह**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
5. **का0 अजीत कुमार सिंह**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
6. **म0का0 रेखा राठौर**, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1605

दिनांक-04.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-विभूतिखण्ड

थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घटना के 08 घंटे के भीतर गिरफ्तार।

- **पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर लूटा गया मंगलसूत्र, लाकेट एवं पूर्व में लूटे गये लाकेट के विक्रय से प्राप्त ₹6,560/- बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना विभूतिखण्ड पर दिनांक **03.09.2026** को वादिनी **गीता यादव पत्नी रामकरन यादव**, निवासी ग्राम सिकन्दरपुर, थाना गुडम्बा, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी को गिराकर गले का मंगलसूत्र छीन लेने तथा चोट पहुंचाने के संबंध में **मु0अ0सं0-0329/2026 धारा 309(4) बीएनएस, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक विभूतिखण्ड द्वारा पुलिस टीम गठित की गई। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं स्थानीय पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त की पहचान की गई।

दिनांक **04.09.2026** को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त **इमरान हुसैन उर्फ शानू पुत्र इकराम हुसैन, निवासी उजरियांव, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 35 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर लूटा गया **लाकेट व मंगलसूत्र** तथा थाना गोमतीनगर क्षेत्र से करीब दो माह पूर्व लूटे गये लाकेट के विक्रय से प्राप्त **₹6,560/- नकद** बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 0261/2026 पंजीकृत है बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त **न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।**

02-अपराध का उद्देश्य व तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा चौराहों एवं सुनसान मार्गों पर पैदल आने-जाने वाली अकेली महिलाओं को निशाना बनाकर उनके सोने के मंगलसूत्र/चेन छीनने की घटनाएं कारित की जाती थीं।

घटना वाले दिन अभियुक्त **पॉलिटेक्निक चौराहे** के आसपास लूट की फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान **बूमबूम कैफे के पास** ऑटो की प्रतीक्षा कर रही एक महिला को अकेला देखकर अभियुक्त ने उसे धक्का देकर गिरा दिया तथा विरोध करने के बावजूद उसका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया।

अभियुक्त लूटे गये आभूषणों को स्थानीय ज्वैलर्स को बेचकर नकदी प्राप्त करता था। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं स्थानीय पूछताछ के आधार पर अभियुक्त को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01.इमरान हुसैन उर्फ शानू पुत्र इकराम हुसैन निवासी उजरियांव थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 35 वर्ष ।

04-अनावरित अभियोग का विवरणः

1. मु0अ0सं0- 0329/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0- 261/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ।

05-अभियुक्त इमरान हुसैन उर्फ शानू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु.अ.सं. 0209/2019 धारा 392, 411 भादवि थाना इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. मु.अ.सं. 0758/2019 धारा 392, 411 भादवि थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
3. मु.अ.सं. 0504/2020 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
4. मु.अ.सं. 0885/2021 धारा 379/411 भादवि गोमतीनगर, लखनऊ।
5. मु.अ.सं. 0553/2023 धारा 379/411 भादवि गोमतीनगर, लखनऊ।
6. मु.अ.सं. 0261/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर, लखनऊ।

नोटः- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपद/इकाई/थाने से भी की जा रही है।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 अर्जुन सिंह, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री चेरियन सिंह, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री गौरव कुमार, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।
4. का0 अमित कुमार सिंह, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।
5. का0 दीपक गंगवार, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।
6. का0 आशीर्वाद गौतम, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।
7. हे0का0 अशोक कुमार मिश्रा, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1600

दिनांक-04.09.2026

जोन- मध्य/ थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस टीम की सफलता।**
- **अवैध हुक्का बार के विरुद्ध कार्यवाही , 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से अवैध तम्बाकू उत्पाद व हुक्का बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.09.2026 को थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा तंबाकू उत्पादों के अवैध सेवन/प्रयोग के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए **चम्पारण मीट हाउस निकट आई0टी0 चौराहा के ऊपर बिग शॉट कैफे** पर अवैध हुक्का बार का संचालन करते हुए 01 नफर अभियुक्त मय माल के फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना महानगर पर **मु0अ0सं0 167/2026 धारा 4/25 तम्बाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 पंजीकृत** किया गया।

मुखबिर खास द्वारा सूचना दिया गया कि चम्पारण मीट हाउस निकट आई0टी0 चौराहा के ऊपर बिग शट कैफे पर अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है जिस पर थाना महानगर पुलिस टीम मौके पर पहुँचे तो मौके पर कुछ लड़के हुक्का पान कर रहे थे जो पुलिस टीम को देखकर मौके से भाग गये। काउन्टर पर बैठे व हुक्का सर्व करने वाले 01 व्यक्ति को जो भागने का प्रयास कर रहा था पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया जिससे पूछताछ करते हुए लाइसेन्स दिखाने हेतु कहा गया तो नहीं दिखा सका जिसके कब्जे से अवैध तम्बाकू उत्पाद/हुक्का बरामद किया गया तथा **अभियुक्त आकाश रावत पुत्र श्री भारत प्रसाद, नि0- ग्राम-मलहा, पो0-काकोरी, थाना-दुबग्गा, जनपद-लखनऊ, उम्र-24 वर्ष** को नियमानुसार समय 23:35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हुक्का बार का संचालक मो0 आमिर फरार चल रहा है जिसकी गिऱफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चम्पारण मीट हाउस निकट आई0टी0 चौराहा के ऊपर बिग शॉट कैफे पर अवैध हुक्का बार में कार्य करता है जिसका मालिक मो0 आमिर पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात है जो हुक्का बार का संचालन करवाता हैं। अभियुक्त के कब्जे **से 06 अदद हुक्का, मय पाईप चालू 24 अदद हुक्का फिल्टर, 02 अदद फ्लेवर पैकेट अलादीन कम्पनी, 01 अदद ऑरेन्ज फ्लेवर पैकेट, 01 अदद सुपारी फ्लेवर पैकेट, 01 अदद रयल पान मसाला फ्लेवर पैकेट, 01 अदद अमेरिकन फ्रीजर फ्लेवर पैकेट (कुल 06 अदद फ्लेवर पैकेट), 11 अदद हुक्का चिलम** बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.आकाश रावत पुत्र श्री भारत प्रसाद, नि0- ग्राम-मलहा, पो0-काकोरी, थाना-दुबग्गा, जनपद-लखनऊ, उम्र-24 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 167/2026 धारा 4/25 तम्बाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 167/2026 धारा 4/25 तम्बाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण –

- 06 अदद हुक्का मय पाईप चालू
- 24 अदद हुक्का फिल्टर
- 02 अदद फ्लेवर पैकेट अलादीन कम्पनी
- 01 अदद ऑरेन्ज फ्लेवर पैकेट
- 01 अदद सुपारी फ्लेवर पैकेट
- 01 अदद रयल पान मसाला फ्लेवर पैकेट
- 01 अदद अमेरिकन फ्रीजर फ्लेवर पैकेट (कुल 06 अदद फ्लेवर पैकेट)
- 11 अदद हुक्का चिलम

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विनोद कुमार थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 अरुण प्रताप सरोज थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
- आरक्षी राकेश कुमार चौबे थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
- आरक्षी मोहित सिंह थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1603
दिनांक-04.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.04.2026 को मा0 न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ द्वारा वाद संख्या 21(13)/2026 सरकार बनाम कुनाल गुप्ता, अन्तर्गत धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में अभियुक्त **कुनाल गुप्ता पुत्र राम लखन उर्फ लखन, निवासी ग्राम बसहा, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ** के विरुद्ध जिला बदर आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की तामील दिनांक 02.05.2026 को अभियुक्त को कराते हुए उसे निष्कासन अवधि में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जनपद लखनऊ की सीमा में प्रवेश न करने हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक 03.09.2026 को उ0नि0 **संदीप सिंह गौर** मय हमराह हे0का0 **भोलेनाथ सिंह**, का0 **दीपक कुमार यादव** एवं म0का0 **शशि चौहान** क्षेत्र में गश्त, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर अभियुक्त कुनाल गुप्ता जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए चोरी-छिपे अपने घर आता-जाता है तथा वर्तमान में अपने घर ग्राम बसहा के पास मौजूद है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर के आसपास घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात घर के सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **कुनाल गुप्ता पुत्र राम लखन उर्फ लखन, निवासी ग्राम बसहा, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष** बताया।

अभियुक्त से जिला बदर आदेश के दौरान जनपद लखनऊ की सीमा में प्रवेश करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अथवा कोई वैध कारण पूछा गया, परन्तु अभियुक्त द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया और न ही जनपद लखनऊ में प्रवेश करने संबंधी किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जिला बदर आदेश की जानकारी होने के बावजूद अपने घर/गांव आने की बात स्वीकार करते हुए अपने कृत्य की गलती मानकर माफी मांगी गई।

अभियुक्त का उक्त कृत्य जिला बदर आदेश का उल्लंघन पाया गया, जिसके संबंध में थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0 344/2026 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए दिनांक 03.09.2026 को समय करीब 20:45 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को थाना हाजा पर दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01-कुनाल गुप्ता पुत्र राम लखन उर्फ लखन, निवासी ग्राम बसहा, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।

03-पंजीकृत अभियोग –

01-मु0अ0सं0 344/2026 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

04-आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 799/23 धारा 457/380 भादवि0, थाना देवा, जिला बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 745/23 धारा 457/380/506 भादवि0, थाना देवा, जिला बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 156/24 धारा 457/380/411 भादवि0, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 157/24 धारा 379/411 भादवि0, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 16/25 धारा 310(3) बीएनएस, थाना बीकेटी, लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अंजनी कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. श्री भानु प्रताप सिंह, निरीक्षक, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. उ0नि0 संदीप सिंह गौर, चौकी प्रभारी गढ़ी, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. हे0का0 भोलेनाथ सिंह, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
5. का0 दीपक कुमार यादव, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
6. म0का0 शशि चौहान, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1609
दिनांक-04/09/2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-कैसरबाग

- **कापर वायर/पाइप चोरी करने वाले 01 बाल अपचारी को थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा पुलिस संरक्षण में लिया गया**

01- संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक **03/09/2026** को थाना कैसरबाग की पुलिस टीम कैसरबाग चौराहे पर मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि **कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बरों में लगे स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप चोरी करने वाला व्यक्ति** चोरी की फिराक में घूम रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम **अमीरुद्दौला लाइब्रेरी के बगल वाली गली** में पहुंची। मुखबिर खास द्वारा **मनकापुर हाउस के पिछले गेट के सामने खम्भे के पास घूम रहे एक व्यक्ति** की ओर इशारा कर बताया गया कि यही व्यक्ति कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बरों में लगे स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप चोरी करता है।

मुखबिर के वहां से हट जाने के पश्चात पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को रोककर पूछताछ का प्रयास किया गया तो वह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **करन पुत्र स्व0 अनूप**, निवासी ग्राम बड़िलिया, थाना हरिगांव, जनपद सीतापुर, उम्र करीब **14 वर्ष** बताया।

मौके पर बाल कल्याण अधिकारी द्वारा संरक्षण में लेकर बाल अपचारी से पूछताछ की गयी तो बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि वह कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बरों में लगे स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप चोरी कर उन्हें बेचता है तथा उससे प्राप्त धनराशि से अपने नशे एवं खाने-पीने का खर्च पूरा करता है।

बाल अपचारी द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में चोरी किए गए स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप को उसने **राजा राम पाल पार्क के पास सफेद झोले में छिपाकर रखा है।** उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सड़क किनारे गड्ढे के पास सफेद झोले में रखे **चोरी किए गए स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप** बरामद किए गए।

बाल अपचारी को उसके द्वारा किए गए कृत्यों से अवगत कराते हुए **धारा 303(2)/317(2) बीएनएस** के संबंध में बताया गया तथा दिनांक **03/09/2026 को समय करीब 22:40 बजे** विधिक प्रक्रिया के अनुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया।

पुलिस संरक्षण में लिए गए बाल अपचारी को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त **माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

02- बाल अपचारी से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है तथा छिपकर कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बरों में लगे स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप चोरी करता है। चोरी किए गए तार/पाइप को बेचकर प्राप्त धनराशि से अपने नशे एवं खाने-पीने का खर्च पूरा करता है।

03-पुलिस संरक्षण में लिए गए बाल अपचारी का विवरण-

01 बाल अपचारी, उम्र करीब **14 वर्ष**।

04- बरामदगी-

- चोरी किए गए **09 अदद मुड़े हुए स्प्लिट एसी के तांबे के तार/पाइप**।
- कुल वजन करीब **3.5 किग्रा**।

05- पुलिस संरक्षण एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. **उ0नि0 चन्दन कुमार मिश्रा**, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
2. **उ0नि0 प्रशान्त कुमार**, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
3. **का0 अनीश वर्मा**, थाना कैसरबाग, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0--1601
दिनांक-04.09.2026

जोन – पूर्वी | थाना – गोमतीनगर विस्तार

घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी किया गया AC का आउटडोर एवं LUMINOUS UPS शत-प्रतिशत बरामद ।

- *थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।*
- *CCTV फुटेज, सुरागरसी-पतारसी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण मुकेश चौहान एवं करन मण्डल को चिन्हित कर दिनांक 04.09.2026 को रात्रि करीब 03:24 बजे शालीमार बंधा रोड के किनारे, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।*
- *अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया गया 01 अदद AC का आउटडोर (कंपनी IFB) एवं 01 अदद LUMINOUS UPS बरामद किया गया।*
- *बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा चोरी किए गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी की गई।*
- *गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निल है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।*

01-संक्षिप्त विवरण –

वादी मुकदमा **श्री विजय बहादुर यादव पुत्र राम आसरे यादव, निवासी विजय नगर, खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ** द्वारा थाना गोमतीनगर विस्तार पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक **02.09.2026 को प्रातः करीब 09:30 बजे** दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर घर में रखा **AC का आउटडोर (कंपनी IFB) एवं एक LUMINOUS UPS** चोरी कर लिया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर तत्काल **मु0अ0सं0 0157/2026 धारा 305(a)/331(3) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

घटना के अनावरण के क्रम में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे **CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला गया** तथा तकनीकी साक्ष्यों, सुरागरसी-पतारसी एवं अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान एवं तलाश की गई। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्तगण **1. मुकेश चौहान एवं 2. करन मण्डल** को आज दिनांक **04.09.2026 को रात्रि करीब 03:24 बजे शालीमार बंधा रोड के किनारे, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ** से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी किया गया **AC का आउटडोर (कंपनी IFB) एवं एक अदद LUMINOUS UPS** बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **चोरी किए गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी** की गई है।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें समय से **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

02- अनावरित अभियोग –

- मु0अ0सं0 157/2026 धारा 305(a)/331(3)/317(2) बीएनएस, थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. **मुकेश चौहान पुत्र हीरालाल उर्फ बारातीलाल**, निवासी हालपता ग्राम मखदूमपुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ (किराये का मकान), स्थायी पता ग्राम इटहा, थाना नानपारा, जनपद बहराइच, उम्र करीब **19 वर्ष**।
2. **करन मण्डल पुत्र गोकुल मण्डल**, निवासी हालपता ग्राम मखदूमपुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ (किराये का मकान), स्थायी पता ग्राम कल्सी, थाना हरिरामपुर, जिला माल्दा, पश्चिम बंगाल, उम्र करीब **18 वर्ष**।

04-बरामदगी का विवरण –

1. AC का आउटडोर – 01 अदद, कंपनी **IFB**।
2. **LUMINOUS UPS** – 01 अदद।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री **उमंग कसौधन**, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ (विवेचक)।
2. उ0नि0 श्री **अंकित कुमार**, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
3. हे0का0 **रामू यादव**, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
4. हे0का0 **मोअज्जम अली**, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
5. कां0 **रवीन्द्र कुमार**, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
6. का0 **अनुराग यादव**, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1606
दिनांक-04.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी के 02 अभियोगों का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की पीली धातु की वस्तुएं एवं कुल ₹7,200/- नकद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक **03.09.2026** को वादी मुकदमा **श्री समीर नेवतिया पुत्र स्व0 वसंत कुमार नेवतिया**, निवासी ए-304 हरिशंकर पोर्चुना अपार्टमेंट, 15 जोपलिंग रोड, थाना हजरतगंज, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रस्टी के मंदिर में घुसकर **डोनेशन बॉक्स का ताला तोड़कर चोरी** करने के संबंध में थाना गोमतीनगर पर **मु0अ0सं0-0395/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना उ0नि0 श्री अंतिम कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी।

उक्त अभियोग में चोरी गये माल की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक **04.09.2026** को मुखबिर की सूचना पर **पब्लिक पार्क, विजयखण्ड-2, थाना गोमतीनगर, लखनऊ** से अभियुक्त **आदित्य गौतम पुत्र पप्पू गौतम**, निवासी भीम नगर, उजरियांव, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0-0395/2026 से संबंधित चोरी का माल एवं **₹2,000/- नकद** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ एवं बरामद माल के संबंध में जानकारी करने पर अभियुक्त द्वारा थाना गोमतीनगर में पंजीकृत एक अन्य चोरी के अभियोग **मु0अ0सं0-0245/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस** से संबंधित चोरी की घटना में भी संलिप्तता प्रकाश में आई। उक्त मुकदमा दिनांक **17.06.2026** की रात्रि करीब 02:00 बजे विवेकखण्ड, गोमतीनगर स्थित मकान में चोरी के संबंध में पंजीकृत हुआ था।

उक्त अभियोग से संबंधित बरामदगी के आधार पर **₹5,200/- नकद** बरामद किया गया तथा मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

इस प्रकार अभियुक्त के कब्जे से दोनों अभियोगों से संबंधित कुल **₹7,200/- नकद** तथा चोरी की पीली धातु की विभिन्न वस्तुएं बरामद की गई हैं। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए **मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

02- घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा मंदिर में रखे डोनेशन बॉक्स का ताला तोड़कर तथा अन्य स्थानों पर मकान में चोरी की घटनाएं कारित की गई थीं। पुलिस टीम द्वारा सूचना, स्थानीय पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही/कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 0395/2026 धारा 305(a)/331(4) बी.एन.एस थाना गोमतीनगर लखनऊ

2.मु0अ0सं0–0245/2026 धारा- 305(a)/331(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. आदित्य गौतम पुत्र पप्पू गौतम निवासी भीम नगर उजरियांव थाना गोमती नगर लखनऊ उम्र 22 वर्ष

05- बरामदगी का विवरण

मु0अ0सं0-0395/2026 से संबंधित:-

- 12 अदद पीली धातु की छोटी कटोरी
- 02 अदद पीली धातु की बड़ी कटोरी
- 01 अदद छोटा गिलास
- 02 अदद पीली धातु के फूलदान
- 02 अदद पीली धातु के गमले
- 02 अदद पीली धातु की उर्ली
- 01 अदद पीली धातु का कटोरा
- **₹2,000/- नकद**

मु0अ0सं0-0245/2026 से संबंधित:-

- **₹5,200/- नकद**

कुल नकद बरामदगी – ₹7,200/-

06- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

07- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **उ0नि0 अंतिम कुमार सिंह**, थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
2. **उ0नि0 अनूप कुमार शुक्ला**, थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
3. **हे0का0 मुकेश कुमार**, थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
4. **का0 रविकांत सिंह**, थाना गोमतीनगर, लखनऊ।

Shree
Cement
थाना
गोमती नगर
कमिश्नरेट - लखनऊ
जनपद - लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं01608

दिनांक-04.09.2026

जोन-मध्य/थाना-आलमबाग

- **कम्पनी की धनराशि में हेरफेर एवं गबन के मामले में वांछित अभियुक्त को थाना आलमबाग पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

वादी **गगन दीप सिंह नरूला**, निदेशक, **श्रेया ऑटो वर्ल्ड प्रा0 लि0, 5 आदर्श नगर, टेढ़ी पुलिया, आलमबाग, लखनऊ** द्वारा थाना आलमबाग पर शिकायत की गई कि अभियुक्त **आकाश श्रीवास्तव** उक्त कम्पनी में **कैशियर** के पद पर कार्यरत था।

अभियुक्त द्वारा दिनांक **03.06.2025 से 20.10.2025** के मध्य अलग-अलग तिथियों में डे-बुक में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार कम्पनी की कुल **₹63,72,463/- (तिरेसठ लाख बहत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये)** की धनराशि निकाली गई। अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि बैंक में जमा किए जाने की बात बताई गई, परन्तु बैंक खाते के सत्यापन में उक्त धनराशि जमा होना नहीं पाया गया।

वादी द्वारा अभियुक्त से कम्पनी की धनराशि वापस किए जाने हेतु कई बार कहा गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा धनराशि वापस नहीं की गई। इस प्रकार कम्पनी की धनराशि का गलत लेखा-जोखा कर हेरफेर एवं बेईमानीपूर्वक गबन किए जाने के संबंध में दिनांक **26.02.2026** को थाना आलमबाग पर **मु0अ0सं0-28/2026 धारा 316(5) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

02- कार्यवाही का विवरण-

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना आलमबाग **श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी** के दिशा-निर्देशन में **उ0नि0 कुंवर वीर विक्रम सिंह** मय हमराह **रि0का0 विजय सिंह** एवं **रि0का0 अर्पित कुमार** द्वारा जनपद सीतापुर स्थित अभियुक्त के निवास स्थान **ग्राम कुसैला, थाना महोली** पर पहुंचकर अभियुक्त **आकाश श्रीवास्तव** को उसके द्वारा किए गए अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक **04.09.2026 को समय करीब 01:16 बजे** उसके घर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-आकाश श्रीवास्तव पुत्र विनय श्रीवास्तव **पता** ग्राम कुसैला, थाना महोली, जनपद सीतापुर उम्र लगभग 25 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 28/26 धारा 316(5) बीएनएस थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कुंवर वीर विक्रम सिंह, थाना आलमबाग, कमिश्नरेट लखनऊ
2. रि0का0 विजय सिंह थाना आलमबाग, कमिश्नरेट लखनऊ

. रि0का0 अर्पित कुमार थाना आलमबाग, कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1601
दिनांक-04.09.2026

जोन-मध्य/थाना-आशियाना

- **थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा एसी कॉपर पाइप चोरी करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एसी कॉपर पाइप, कॉपर/एल्युमिनियम तार, अधजला केबिल एवं ₹1,170/- नकद बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **03.09.2026** को वादी मुकदमा **सौरभ शर्मा पुत्र स्व0 प्रकाश सिंह वर्मा**, निवासी 584/449, सेक्टर-एम, आशियाना, लखनऊ द्वारा दिनांक **31.08.2026** की रात्रि करीब **03:00 बजे** बंगला बाजार स्थित अपनी दुकान से एसी का पाइप चोरी हो जाने के संबंध में लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया। जिसके आधार पर थाना आशियाना पर **मु0अ0सं0-227/2026 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री संदीप ठाकुर द्वारा की जा रही थी।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे **सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन** तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से जानकारी संकलित की जा रही थी।

इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा **बंगला बाजार से आगे देवीखेड़ा रोड** के पास से अभियुक्त **आजम खान पुत्र मोहम्मद रियाज**, निवासी टाइप-3, 1/3 गंगा सिंचाई पुरम स्टाफ कॉलोनी, तेलीबाग, लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी का माल एवं अन्य सामान बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त **मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।**

02- अनावृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-227/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना आशियाना, लखनऊ।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

01-आजम खान पुत्र मोहम्मद रियाज, निवासी टाइप-3, 1/3 गंगा सिंचाई पुरम स्टाफ कॉलोनी, तेलीबाग, लखनऊ, उम्र करीब **25 वर्ष**।

04-आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में **अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।**

05- बरामदगी का विवरण-

- ₹1,170/- नकद।
- एसी के कॉपर पाइप के 17 टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा लगभग एक बालिश्त लंबा।
- काले रंग का 01 बंडल अधजला केबिल।
- कॉपर एवं एल्युमिनियम तार के कई टुकड़े।
- 01 अदद ऑटो रिक्शा संख्या UP AT 6680।

06- गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. **उ0नि0 संदीप ठाकुर**, थाना आशियाना, लखनऊ।
2. **उ0नि0 शिशिर कुमार सिंह**, थाना आशियाना, लखनऊ।
3. **उ0नि0 आरजू सिंह**, थाना आशियाना, लखनऊ।
4. **का0 शांतेश्वर विश्वकर्मा**, थाना आशियाना, लखनऊ।